

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री जवाहर लाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. श्री केलाशचन्द्र पिता मोतीलाल गदिया महाजन निवासी बानसी हाल चन्द्रप्रकाश होटल के पास उदयपुर

वादी

।।बनाम।।

1. श्री धनराज पिता पिता मोतीलाल गदिया निवासी बानसी हाल गौशाला रोड गुलाबपुरा
2. श्री गणेश पिता मोतीलाल गदिया महाजन निवासी बानसी हाल मुल्ला तलाई चौराहा उदयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 143/2010 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील प्रेम सिंह मेहता और प्रतिवादी की ओर से वकील एक्स पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है। कि मौजा पायरो का खेडा की वादग्रस्त आ.न. 122,136,144 कुल किता 03 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1. श्री केलाशचन्द्र पिता मोतीलाल गदिया महाजन निवासी बानसी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
122/1	0.46	5.06
136 मी.	0.17	1.36
144/1	0.14	1.12
योग 03	0.77	07.54

2. श्री धनराज पिता पिता मोतीलाल गदिया निवासी बानसी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
122/मी.	0.16	1.76
136/1	0.05	0.40
144/मी.	0.05	0.40
योग 03	0.26	2.56

- 3 श्री गणेश पिता मोतीलाल गदिया महाजन निवासी बानसी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
122/2	0.31	3.41
136/2	0.12	0.96
144/2	0.09	0.72
योग 03	0.52	5.09

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाये ।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।यह आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

जवाहर लाल जैन (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी



५१